

न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) छतरगढ़ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांक 13.02.2019

उ.नं. 10/2017

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का खारबारा तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर

(सायल)

बनाम

खेमराम पुत्र भैराराम जाति मेघवाल निवासी खारबारा तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर

(गैरसायल)

अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22

-निर्णय-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खारबारा ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल खेमराम पुत्र भैराराम जाति मेघवाल निवासी खारबारा तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर ने कृषि सम्बन्ध 2074 फसल खरीफ में चक 3 डी.एल के मु0न0 168/47 के कि0न0 23=0.02, 24=0.02, 25=0.02 कुल 0.06 बीघा कमाण्ड गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर अनाधिकृत रूप से तारबन्दी व मेड बना ली है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया।

नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। दिनांक 09.08.2017 को गैरसायल ने उपस्थित होकर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन वाद व स्थगन आदेश की प्रति प्रस्तुत की। उक्त रकबे से सम्बन्धित वाद संख्या 7810 वर्ष 2008 अनवान आसाराम बनाम खेमराम माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है एवं स्थगन आदेश से प्रभावित है। तत्पश्चात माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 08.06.2018 को निर्णय पारित करते हुये माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर के निर्णय दिनांक 24.07.2008 को यथावत रखा गया है एवं माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खजूवाला के निर्णय दिनांक 15.02.2008 को खारिज फरमाया गया है।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 08.06.2018 की पालना हेतु पटवारी हल्का को निर्देशित किया गया, उक्त निर्णय की पालना करते मु0न0 168/47 के कि0न0 23=0.02, 24=0.02, 25=0.02 कुल 0.06 बीघा कमाण्ड गैर मुमकिन रास्ते की भूमि को गैरसायल खेमराम पुत्र भैराराम जाति मेघवाल निवासी खारबारा तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा गैरसायल के पक्ष में निर्णय किया गया है। अतः पत्रावली ड्रॉप की जाती है। चूंकि गैरसायल द्वारा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। भू-राजस्व का 50 गुना 27 रु X 2 वर्ष, कुल 54 रु अक्षर अट्ठयासी रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व पटवारी हल्का को वसूली बाबत बाबत लिखा जावे। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम कर बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हों। इजराय पत्रावली अलग से मुर्तीब की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार जाखड)

तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक

तहसीलदार एवं कार्यपालक (बीकानेर)

छतरगढ़ (बीकानेर)

